रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2014/माघ 23, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 239
No. 1]	DELHI, WEDNESDAY, FABRUARY 12, 2014/MAGHA 23, 1935	[N.C.T.D. No. 239

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 फरवरी, 2014

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2014

सं 8(3)/2001/डीईआरसी/4705.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (2001 के अधिनियम 2)की धारा 61, उप – धारा (2) खंड (एन) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी शक्तियों, तथा पिछले प्रकाशन के बाद, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2001, (आगे "मुख्य नियमों के रूप में" उल्लिखित) में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियमों बनाता है), अर्थात: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (क) इन नियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2014 के नाम से जाना जाएगा।

(ख) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

590 DG/2014

2. **मुख्य नियमों के विनियम 3 का संशोधन** – मुख्य नियमों के विनियम 3 के तहत धारा (iv) के बाद एक नई धारा (v) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाएगी

"(v) आयोग में काम के लिए या विभिन्न बाधाओं की वजह से नियमित पदों को नहीं भरा जा सकता है, यदि आयोग संतुष्ट होता है कि मात्रा में वृद्धि हुई है, उसके कार्यों के निष्पादन में आयोग की सहायता करने के लिए"

3. **मुख्य नियमों के विनियम 5 का संशोधन** – मुख्य नियमों के विनियम 5 के तहत धारा (ii) के बाद एक नई धारा (iii) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाएगी:–

"(iii) स्टाफ सलाहकार"

4. **एक नए नियम 15 ए का निवेशन** – मुख्य नियमों के विनियम 15 के बाद, निम्नलिखित रूप में एक नया नियम 15 ए के जोड़ा जाएगा:

"15 ए स्टाफ सलाहकार:

(1) आयोग, यदि संतुष्ट होता है कि आयोग के काम की मात्रा में वृद्धि होती है, या नियमित पदों को भरने में कठिनाइयां उत्पन्न होने पर, काम की अनिवार्यता के लिए और आयोग के कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने में आयोग की सहायता के लिए, एक स्टाफ सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय कर सकता है और सचिवालय को आगे कदम उठाने के लिए निर्देश दे सकता है।

(2) आयोग राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करके और जहाँ तक संभव हो, इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए चार सप्ताह की अवधि देकर, आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

(3) सूचना प्रकाशित करने से पहले, आयोग, के नियमित पदों के विरूद्ध भर्ती के नियमों के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आयोग, अनुरूप योग्यता और अनुभव की आवश्यकताओं को चिह्नित करेगा।

(4) स्टाफ सलाहकार को योग्यता और दो से पंद्रह या अधिक साल के अनुभव की अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और एक समेकित शुल्क की पेशकश की जा सकती है, जो मामले दर मामले के आधार पर आयोग द्वारा तय की जाएगी। इस धारा के तहत निर्धारित शुल्क का हर साल के अंत में 10% की वृद्धि के साथ संशोधन किया सकता है।

(5) अध्यक्ष एक चयन समिति का गठन करेगा जो पद के उम्मीदवारों के साथ बातचीत करेगी और अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए स्टाफ सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम और भुगतान किए जाने वाले शुल्क की सिफारिश करेगा।

(6) स्टाफ सलाहकार की नियुक्ति के लिए उसी प्रकार की चयन समिति होगी जैसी आयोग के नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित है।

(7) उपयुक्त चयन समिति के गठन के लिए, आयोग के स्टाफ/अधिकारियों के साथ काम की प्रकृति, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों एवं स्टाफ सलाहकार से परिकल्पित काम के स्तर को बराबर किया जा सकता है।

(8) आम तौर पर स्टाफ सलाहकार की नियुक्ति तीन साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

(9) स्टाफ सलाहकार अनुलग्नक–क में दिए गए नियुक्ति के नियम और शर्तों से युक्त मसौदा समझौते, के अनुसार आयोग के साथ एक समझौते (अनुबंध) में शामिल होगा।

जयश्री रघुरमन, सचिव

अनुलग्नक–क

अनुबंध- पत्र

1. यह **अनुबंध** .... निवासी ...., जिसे आगे "स्टाफ सलाहकार" या "पहले भाग" के पक्ष के रूप में उल्लिखित किया जाएगा

और

2. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, जिसका अपना कार्यालयः विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017 में है, के बीच दिनांक .... को किया गया और ...., सचिव द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया, जिसे आगे आयोग या "दूसरे भाग" का पक्ष कहा जाएगा, जो शब्द उसके प्रतिनिधियों और जिम्मेदारी सौंपे गए लोगों को संदर्भित करेगा।

3. और यह कि

(क) आयोग, के इस बात से संतुष्ट होने पर की उन आवेदकों के बीच से, जिन्होंने दिनांक .... के विज्ञापन के खिलाफ कर्मचारी सलाहकार के पद के लिए आवेदन किया .... के विशेष प्रयोजित कार्य/ विशिष्ट कार्य के लिए एक "स्टाफ सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत है।

(ख) प्रथम भाग के पक्ष ने उक्त विज्ञापन को जवाब दिया और अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

(ग) आयोग ने, पहले भाग के पक्ष से प्राप्त आवेदन के जवाब में और चयन समिति की दिनांक .... की सिफारिश के आधार पर, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2001 के समय–समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के तहत"................................ के विशेष प्रयोजित कार्य/ विशिष्ट कार्य के लिए स्टाफ सलाहकार" के रूप में उसे नियुक्त करने का फैसला किया है।

(घ) पहले भाग का पक्ष उपरोक्त कार्यभार ग्रहण करने को तैयार हो गया है।

4. अब ये वर्तमान गवाह और पक्ष क्रमशः निम्नलिखित अनुसार सहमत हैं :

5. परिभाषा :

(क) **आयोग** का आशय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों से है।

(ख) **अध्यक्ष** का आशय प्राधिकरण के अध्यक्ष या उचित आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण से है, विद्युत अधिनियम –2003 के (अनुभाग 2 (11) में परिभाषित अनुसार), जैसा भी मामला हो।

(ग) **सदस्य** का आशय उपयुक्त आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य से है, विद्युत अधिनियम –2003 के (अनुभाग 2 (43) में परिभाषित अनुसार), जैसा भी मामला हो।

(घ) **सचिव** का आशय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सचिव या सचिव की अनुपस्थिति में आयोग द्वारा एक सीमित अवधि के लिए उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी से है।

(ङ) **रिपोर्टिंग अधिकारी** का आशय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के एक अधिकारी/अधिकारियों से है, जिनकी देखरेख में व्यक्तिगत सलाहकार को रखा जाएगा और जिसे व्यक्तिगत सलाहकार रिपोर्ट करेगा ।

(च) **सक्षम प्राधिकारी** का आशय आयोग के एक ऐसे अधिकारी से है, जो अपने समक्ष रखे गए किसी मामले में एक निर्णय लेने में सक्षम है।

(छ) **"गोपनीय जानकारी"** आयोग द्वारा स्टाफ सलाहकार मौखिक रूप से या लिखित रूप में विधिवत चिह्नित किसी भी और सभी सूचनाओं या आयोग के निर्देशों के तहत किसी अन्य संगठन से स्टाफ सलाहकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा इस समझौते के क्रियान्वयन के आधार पर प्राप्त होने वाली जानकारियों को संदर्भित करता है।

(ज) **"व्यक्ति"** में, कोई भी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय या संघ या व्यक्तियों, चाहे उन्हें शामिल किया गया हो या नहीं अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल होगा।

(झ) **"सरकार"** का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से है।

6. **काम की प्रकृतिः** पहले भाग के पक्ष को "................................" के क्षेत्र में स्टाफ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

7. **कार्यभार का प्रारंभः** काम का आरंभ पहले भाग के पक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यानी .... के .... दिन से प्रभावी शुरू होगा।

8. **अनुबंध की अवधिः** अनुबंध कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से .... वर्ष (वर्षों) की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे प्रदर्शन और आयोग की जरूरतों के आधार पर आपस में सहमत शर्तों पर एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

9. **पदः** "स्टाफ सलाहकार" को आगे से "............................ स्टाफ सलाहकार के रूप में नामित किया जाएगा।

10. **भुगतान की शर्तें:**

(क) स्टाफ सलाहकार को प्रत्येक माह के अंत में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को समावेशित कर प्रतिमाह रूपये .... के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(ख) स्टाफ सलाहकार किसी भी अन्य परिश्रमिक या प्रतिपूर्ति या आयोग के एक नियमित पद के विरूद्ध नियुक्त कर्मचारियों को देय अतिरिक्त उपार्जन या सुविधाओं या अन्य भत्तों का हकदार नहीं होगा।

11.**स्रोत पर आयकर की कटौतीः** समय–समय पर यथासंशोधित, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, भुगतान किए जाने की मंजूरी वाले सभी स्रोतों पर आयकर कटौती की जाएगी।

12. **नियम और शर्तें:**

(क) स्टाफ सलाहकार आयोग के कार्यालय या आयोग के निर्देश पर इस तरह के अन्य स्थानों पर काम के सामान्य घंटों के दौरान इस समझौते के तहत सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा।

(ख) स्टाफ सलाहकार इस समझौते के तहत सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियमित रूप से सुबह 9:30 से सायं 6:00 तक (एक सप्ताह में 5 दिन)अपने सामान्य काम के घंटे के दौरान आयोग के कार्यालय में उपस्थित रहेगा। 1:30 बजे से 2:00 तक भोजन करने के लिए आधे घंटे का अवकाश रहेगा। काम की जरूरत के मामले में स्टाफ सलाहकार शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में कार्यालय आने, और काम के सामान्य घंटों के बाद में भी कार्यालय में रूकने के लिए तैयार होगा।

(ग) जब आयोग में कार्यरत हों, स्टाफ सलाहकार, एक अधिकारी से अपेक्षित उचित मर्यादा को बनाए रखेगा।

(घ) वर्तमान कार्यभार पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर है। स्टाफ सलाहकार का नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता या इस अनुबंध के तहत आयोग में दी गई सेवाओं की वजह से अतीत की सेवा की गणना के लिए कोई दावा नहीं होगा। वह ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और आयोग के नियमित पद के विरूद्ध नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ के लिए किसी भी दावे के लिए हकदार नहीं होगा।

(ङ) आयोग कार्यालय में लागू राजपत्रित छुट्टियों के अलावा एक वर्ष में 15 दिनों की छुट्टी का प्रावधान होगा। स्टाफ सलाहकार कार्यभार से छुट्टी/अस्थायी छुट्टी लेने के लिए आयोग से पूर्व लिखित अनुमति लेगा और प्राप्त करेगा।

(च) दिल्ली के बाहर के दौरे के मामले में आयोग पात्रता के अनुसार सलाहकार द्वारा सरकारी कामकाज के लिए की गई यात्रा के लिए निम्नलिखित खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा:–

i. ट्रेन द्वारा (एसी द्वितीय या एसी तृतीय)।

ii. स्टाफ सलाहकार को जिस दर्जे के बराबर किया गया है उस स्तर के आयोग के स्टाफ/ अधिकारियों के हकों के अनुसार अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

(छ) स्टाफ सलाहकार को, कार्य की अनुसूची के अधीन ऐसे अधिकारी की देखरेख में रखा जाएगा जिसे आयोग एक आदेश के तहत निर्दिष्ट कर सकता है और वह रिपोर्टिंग अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। स्टाफ सलाहकार अपने को आयोग और उन अधिकारियों और प्राधिकारियों के आदेश के तहत प्रस्तुत करेगा जिनकी देखरेख में उसे आयोग द्वारा समय–समय पर रखा जा सकता है ।

(ज) इस समझौते के तहत काम की निरंतरता नियुक्त व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों से जुड़ा विषय है।

(झ) कार्यभार संभालने के किसी भी चरण में अध्ययन की गई, निर्मित या लागू की गई प्रणाली पर आयोग का पूर्ण स्वामित्व होगा। ऐसे सभी दस्तावेज या कोई भी जानकारी, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और या इस काम के साथ जुड़ी हैसियत और इस काम से संबंधित होने की वजह से उसे प्राप्त होती है, आयोग की संपत्ति होगी।

13. प्रतिबंधात्मक शर्तें:

(क) स्टाफ सलाहकार इसका आश्वासन देगा और पुष्टि करेगा कि आयोग में वर्तमान कार्य से, किसी भी पक्ष के साथ उसके पिछले या वर्तमान संबंधों और दायित्वों का कोई टकराव नहीं है और न ही होगा और वह खुद को किसी ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जहां वह तटस्थ और निष्पक्ष रूप से कार्य निष्पादित करने में सक्षम न हो।

(ख) स्टाफ सलाहकार आश्वासन देता और पुष्टि करता है कि वह सभी गोपनीय सूचनाओं को गोपनीय रखेगा उसी प्रकार से उनका ध्यान रखेगा जिस तरह वह अपनी निजी जानकारी को गोपनीय रखता है और किसी भी स्थिति में उन पर एक उचित स्तर से कम ध्यान नहीं रखेगा।

ग) स्टाफ सलाहकार आश्वासन देता और पुष्टि करता है कि कोई भी जानकारी/आंकड़ा जो इस प्रकार चिहित हो, इस समझौते पर नियुक्ति की हैसियत से आयोग द्वारा या आयोग के निर्देशों के तहत किसी भी अन्य संगठन द्वारा उसके अधिकार में आता है, उसे किसी भी रूप में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति पर प्रकट नहीं किया जाएगा।

(घ) इसके अतिरिक्त स्टाफ सलाहकार यह आश्वासन देता और पुष्टि करता है कि आयोग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी समय या किसी भी कारण से वह किसी भी व्यक्ति से इस तरह की जानकारी/आंकड़े का खुलासा नहीं करेगा।

(ङ) स्टाफ सलाहकार किसी भी रूप में आयोग के लाइसेंसधारियों में से किसी के साथ ऐसा कोई काम, शुरू नहीं करेगा या ऐसा कोई दायित्व नहीं लेगा, जिसका उसके वर्तमान दायित्व के साथ टकराव हो सकता है और न ही अपने को ऐसी स्थिति में डालेगा जिसमें वह तटस्थ और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम न हो सके।

(च) इस अनुबंध की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए, आयोग द्वारा, किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस कानून के अनुसार स्टाफ सलाहकार के खिलाफ कार्रवाई आरंभ करने का निर्णय लिया जा सकता है, जब तक कि स्टाफ सलाहकार आयोग को उस मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व नहीं लेता है, जो आयोग द्वारा इस समझौते की किसी भी धारा के उल्लंघन की प्रकृति, तरीके और सूचना का खुलासा करने के मकसद और ऐसे अनधिकृत प्रकटीकरण की वजह से नुकसान की हद तक हो सकता है, जो किसी भी स्थिति में डिफॉल्ट की तिथि तक काम के लिए भुगतान किए गए समेकित पारिश्रमिक के कुल योग तक सीमित होगा।

14. अनुबंध की समाप्ति:

(क) अगर आयोग को पता चलता है कि स्टाफ सलाहकार का आचरण तथा/अथवा काम संतोषजनक नहीं है तथा/अथवा पाया जाता है कि स्टाफ सलाहकार ने ऐसे तरीके से काम किया है/कर रहा है जो आयोग के हित के प्रतिकूल है तथा/अथवा किसी पूर्व नौकरी या व्यक्तिगत गलत आचरण की वजह से एक सक्षम प्राधिकारी/कानून की अदालत द्वारा स्टाफ सलाहकार के खिलाफ अभियोजन/अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी या यह पाया जाता है कि स्टाफ सलाहकार अपनी इस नियुक्ति के अलावा किसी समवर्ती रोजगार में लगा हुआ है तथा/अथवा यह रोजगार धोखाधड़ी या झूठे विवरण प्रस्तुत करने के द्वारा प्राप्त किया गया है या किसी अन्य कारण से जिसे आयोग ऐसी समाप्ति के लिए उचित समझता हो, आयोग के पास स्टाफ सलाहकार के काम को पहले समाप्त, बंद या अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है

(ख) किसी भी पक्ष द्वारा ऊपर अनुच्छेद 10(ए) द्वारा तय के रूप में, एक महीने की नोटिस या उसके एवज में एक महीने का समेकित पारिश्रमिक देकर अनुबंध को समय से पूर्व समाप्त किया जा सकता है

15. समाप्ति का प्रभाव:

(क) कार्यभार के समय से पूर्व समाप्ति पर, आयोग पहले पक्ष को अनुबंध की समाप्ति की तिथि उसके द्वारा निष्पादित कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करेगा।

(ख) ऐसे मामलों में, पहले भाग के पक्ष को ध्यान में रखकर इस तरह के प्रतिबंध, समापन या अनुबंध रद्द करने से पहले किए गए पूरा किए गए कार्य पर विचार करने के बाद आयोग द्वारा तय पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, और आयोग का निर्णय निर्णायक और बाध्यकारी होगा। ऐसे मामलों में इस प्रकार तय और भुगतान किए गए पारिश्रमिक को अंतिम भुगतान समझा जाएगा।

16. सूचना: पक्षों के बीच कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जाएगी।

17. ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसके लिए इस समझौते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सलाहकारों की नियुक्ति के विषय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के सामान्य निर्देश में निहित प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

18. मध्यस्थता:

(क) यहाँ निहित नियमों और शर्तों की किसी भी मंशा और सही अर्थ के बारे में पक्षों के बीच उत्पन्न हो सकने वाले विवाद या इसके अनुसरण में किए जाने वाले किसी भी भुगतान या किसी अन्य विषय के रूप में उत्पन्न होने या इससे जुड़े या इन उपस्थित मामलों

से उत्पन्न आकस्मिक घटनाओं या किसी भी पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों या किसी भी अन्य विषय के रूप में अंतर, विवाद, दावों को आयोग द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा एक पंचाट (मध्यस्थता) के माध्यम से परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से तय किया जाएगा।

(ख) मध्यस्थता का आयोजन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता का आयोजन स्थल दिल्ली/नई दिल्ली होगा।

(ग) मध्यस्थता का वर्णन और आयोजन "अंग्रेजी" भाषा में किया जाएगा।

19. क्षेत्राधिकारः इस समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने या इससे प्रासंगिक या किसी घटना से होने वाली किसी कानूनी कार्यवाही के संबंध में, केवल दिल्ली/और नई दिल्ली की अदालतों की अनन्य अधिकारिता होगी।

"गवाहों की उपस्थिति में ऊपर नामित .... पहले भाग के पक्ष और "आयोग" की ओर से सचिव द्वारा यहां ऊपर उल्लिखित दिन, महीने और साल को इस समझौते को निष्पादित किया है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
स्टाफ सलाहकार	"आयोग" की ओर से सचिव

गवाह की उपस्थिति में --

(गवाह के हस्ताक्षर)
नाम

गवाह का पता

(गवाह के हस्ताक्षर)
नाम

गवाह का पता

गवाह की उपस्थिति में --

(गवाह के हस्ताक्षर)
नाम

गवाह का पता

(गवाह के हस्ताक्षर)
नाम

गवाह का पता

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2014

Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Amendment) Regulations, 2014

No. 8(3)/2001/DERC/4705.— In exercise of the power conferred under section 61, sub-section (2) clause (n) of the Delhi Electricity Reforms Act, 2000 (Act 2 of 2001) the Delhi Electricity Regulatory Commission and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2001, (hereinafter referred to as "the principal regulations"), namely:-

1. **Short title and commencement.**- (a) These regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Amendment) Regulations, 2014.

(b) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 3 of principal regulations** - A new clause (v) shall be added after clause (iv) of Regulation 3 of the principal regulations as under

" (v) assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum; of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints."

3. **Amendment of Regulation 5 of principal regulations.**- A new clause (iii) shall be added after clause (ii) of Regulation 5 of the principal regulations as under :—

"(iii) Staff consultants"

4. **Insertion of a new Regulation 15 A.** — After Regulation 15 of the principal regulations, a new regulation 15 A shall be added as under :

" 15 A. Staff Consultant:

(1) The Commission, on being satisfied that there has been an increase in the quantum of work of the Commission, or difficulties arising in filling regular posts, may decide to engage a Staff Consultant in exigencies of work, to assist the Commission in discharge of their functions effectively and direct the Secretariat to take further steps.

(2) The Commission shall invite applications by publishing notice in the National Dailies and Commission's website and by giving, as far as possible, a period of four weeks for making applications by interested persons.

(3) Before publishing the notice, the Commission shall identify the qualification and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission's Regulations governing the recruitment against regular posts.

(4) The Staff Consultant may be categorized based on the qualification and length of experience ranging from two to fifteen or more years and offered a consolidated fee, which shall be decided by the Commission on case to case basis. The fee so decided under this clause may stand revised at the end of every year with an escalation of 10%.

(5) The Chairperson shall constitute a Selection Committee which shall interact with the candidates and recommend names of suitable' persons for engagement as Staff Consultants and the fee to be paid for approval of the Chairperson.

(6) The Selection Committee for appointment of Staff Consultant shall be same as prescribed for the appointment of regular Staff / Officers of Commission.

(7) For constitution of appropriate Selection Committee, the nature of work, duties and responsibilities and level of work envisaged from Staff Consultant may be equated with the Staff / Officers of Commission.

(8) The Staff Consultant shall normally not be engaged for a period more than three years.

(9) The Staff Consultant shall enter into an agreement with Commission as per the draft agreement, consisting of terms and conditions of appointment, given at Annexure - A.

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.

Annexure - A

AGREEMENT

1 This agreement made on this ____________ day of ______________ BETWEEN ______________________________, resident of __________________________, hereinafter referred to as "Staff Consultant" or the party of the "first part"

AND

2 The Delhi Electricity Regulatory Commission having its office at Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi - 110 017 and represented by__________________________, Secretary, herein after called Commission or the party of the 'other part', which term shall wherever the context means and includes its representatives and assigns.

3 **WHEREAS**

(a) The Commission, on being satisfied that there is a need to appoint a "Staff Consultant for specialised task / specific work of ____ from amongst the applicants who had applied for the post of Staff Consultant against the advertisement dated ________________.

(b) The party of the first part had responded to the aforesaid advertisement and submitted his / her application.

(c) The Commission, in response to the application received from the party of the first part and based on the recommendation dated ______________ of the Selection Committee, decided to engage him / her as "Staff Consultant for specilized task / specific work of ____________________" under the provisions of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2001 as amended from time to time.

(d) The party of the first part has agreed to take up the above said assignment.

4 NOW THESE PRESENT WITNESSES and the parties hereto respectively agree as follows:

5 **Definition:**

(a) **Commission** means Chairpersons and Members of the Delhi Electricity Regulatory Commission

(b) **Chairperson** means the Chairperson of the Authority or Appropriate Commission or the Appellate Tribunal; as the case may be (as defined in Sec. 2(11) of the Electricity Act, 2003.

(c) **Member** means Member of the Appropriate Commission or the Appellate Tribunal; as the case may be (as defined in Sec. 2(43) of the Electricity Act, 2003.

(d) **Secretary** means the Secretary of the Delhi Electricity Regulatory Commission or any other officer of the Commission authorised by the Commission to discharge the responsibilities of the Secretary in his/her absence for a limited period.

(e) **Reporting Officer** means an Officer / Officers of the Delhi Electricity Regulatory Commission under whose supervision the individual consultant shall be placed and to whom the individual consultant shall report to.

(f) **Competent Authority** means an Officer of Commission, who is competent to take a decision in a matter placed before him.

(g) **"Confidential Information"** means any and all information communicated to the staff consultant by Commission either verbally or in writing duly marked or by any other organization under the directions of the Commission, which comes to the knowledge or in the possession of the Staff Consultant either directly or indirectly by virtue of execution of this agreement.

(h) **"Person"** shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person.

(i) **"Government"** means Government of National Capital Territory of Delhi.

6. **Nature of work:** The party of the first part shall be engaged as Staff Consultant in the area of "____".

7. **The commencement of assignment:** The assignment shall commence with effect from the date of assumption of charge by the party of the first part i.e. __________ day of __________________.

8. **The duration of contract:** The contract will be for a period of __________ year(s) from the date of assumption of charge, which may be extended for one more year depending on the performance and needs of the Commission on mutually agreed terms.

9. **Designation:** "Staff Consultant" shall henceforth be designated as Staff Consultant ______________'.

10. **Payment Terms:**

(a) The Staff Consultant shall be paid at the end of each month a consolidated remuneration of Rs.___________ (Rupees ________________ only) per month inclusive of all direct and indirect taxes.

(b) The Staff Consultant shall NOT be entitled to any other remuneration or reimbursement or perquisite or facilities or other allowance admissible to the employees appointed against a regular post of the Commission.

11. **Deduction of Income Tax at source:** Income Tax shall be deducted at source from all payments approved to be made, in accordance with the provision of Income Tax Act, 1961, as amended from time to time.

12. **General terms and conditions:**

(a) The Staff Consultant shall execute the assignment under this agreement during the normal working hours at the Office of the Commission or such other places as the Commission may direct.

(b) The Staff Consultant shall regularly attend the office of the Commission during its normal working hours from 9:30 A.M. to 6:00 P.M. (05 days a week) to execute the assignment under this agreement. There shall be an half-hour lunch break from1:30 P.M. to 2:00 P.M. The Staff Consultant shall be willing to attend office on Saturdays, Sundays and other gazetted holidays, and also to sit beyond normal working hours in case of exigency of the work.

(c) The Staff Consultant shall maintain proper decorum, as is expected of from an Officer, while on duty in the Commission.

(d) The present assignment is purely on contractual basis. The Staff Consultant shall have no claim for regular appointment or seniority or counting of past service due to the services rendered in the Commission under this contract. She/he shall also not be entitled for any claim for gratuity, provident fund and any other benefits as are available for the employees appointed against regular post of the Commission.

(e) There will be a provision of 15 days leave in a year in addition to the gazetted holidays applicable in the Commission office. Staff Consultant shall take and obtain prior written permission from the Commission in order to take Leave/temporary leave from the assignment.

(f) In case of tour outside Delhi, the Commission will reimburse the expenses for journey undertaken for official work by the Consultant as per the following entitlement:-

i. By Train (AC II or AC III).
ii. Other facilities as per entitlements of Staff / officers of Commission to which level the Staff Consultant has been equated.

(g) The Staff Consultant shall, subject to the work schedule, be placed under the supervision of such Officer as the Commission may by an order assign and shall report to that Reporting Officer. The Staff Consultant shall submit itself to the orders of the Commission and of the Officers and Authorities under whom he may, from time to time be placed by the Commission.

(h) The continuation of the assignment under this agreement is subject to continuous physical fitness of the appointee and recommendations of the Competent Authority.

(i) The Commission shall have total ownership of the system studied, designed or implemented in any phase of the assignment. All such documents or any information, that may come to his knowledge directly or indirectly by virtue of this assignment and or connected with this assignment, shall be the property of the Commission.

13. **Restrictive terms:**

(a) The Staff Consultant affirms and confirms that the current assignments at the Commission is not and shall not be, in conflict with any of its previous or present obligations to any party with whom it has association, nor shall it place himself/herself in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

(b) The Staff Consultant affirms and confirms that he/she shall hold all Confidential Information in confidence and with the same degree of care it uses to keep its own similar information confidential, but in no event shall use less than a reasonable degree of care.

(c) The Staff Consultant affirms and confirms that any information/data that may be marked to it by the Commission or by any other organization under the directions of the Commission, which comes to the knowledge or its possession by virtue of engagement of this agreement, shall not be disclosed to any unauthorized person in any manner.

(d) The Staff Consultant further affirms and confirms that it shall not, without the prior written consent of the Commission, disclose such information/data to any person for any reason at any time

(e) The Staff Consultant shall not conduct in any manner or undertake any such assignment with any of the Licensees of the Commission, which might be in conflict with current obligation nor shall it place himself/herself in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

(f) For any breach of clause of this agreement, the Commission shall, without prejudice to any other action that it may initiate against the Staff Consultant as per law, subject the Staff Consultant to liability to pay the Commission such compensation as may be decided by the Commission keeping in view of violation of any of the terms of this agreement, the nature, manner and motive of the information disclosed and the extent of the damage caused by such unauthorized disclosure, which shall in any case be limited to the total of the consolidated remuneration paid for the assignment till the date of default.

14. **Termination of contract:**

(a) The Commission reserves its right to foreclose, terminate or cancel the engagement of the Consultant without assigning any reasons in case it is noticed that the work and/or conduct of the Staff Consultant is not satisfactory and/or in case it is found that the Staff Consultant has worked/working in a manner which is prejudicial to the interest of Commission and/or any case of prosecution/disciplinary action has been initiated against the Staff Consultant in connection with any past employment or personal misconduct by a competent authority/Court of Law and/or in case it is noted the Staff Consultant has been engaged in any other employment concurrent to this appointment and/or in case it is found that the employment has been obtained by fraud or submission of false particulars or for any other reasons which Commission may deem fit, for such termination.

(b) The contract shall be liable to be terminated pre-maturely by either party by giving one month's notice or one month's consolidated remuneration, as fixed *vide* para 10(a) hereinabove, in lieu thereof.

15. **Effect of termination:**

(a) On pre-mature termination of the assignment, the Commission shall pay the party of the first part remuneration for the work performed by him / her till the date of termination of the Contract.

(b) In such cases, the party of the first part shall be paid remuneration after taking into consideration the part of work completed prior to such foreclose, termination or cancellation of the engagement as may be decided by the Commission, and the decision of the Commission shall be conclusive and binding. The remuneration so fixed and paid shall be deemed to be the final payment in such cases.

16. **Notice:** Any notice between the parties shall be in writing.

17. In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement, the provisions contained in the general instructions of the Government of NCT Delhi on the subject of engagement of consultants shall apply.

18. **Arbitration:**

(a) Any difference, dispute, claims which may arise between the parties hereto as to the construction or true intent and meaning of any of the terms and conditions herein contained or as to any payment to be made in pursuance hereof or as to any other matter arising out or as to any other matter arising out of or connected with or incidental to these presents or as to the rights, duties and obligations of any of the parties, such difference, dispute or claim shall be mutually settled amicably by arbitration through a sole arbitrator appointed by the Commission.

(b) The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments thereof. The venue of such arbitration will be Delhi/New Delhi.

(c) Arbitration shall be subjected to and conducted in 'English' language.

19. **JURISDICTION:** In respect of any legal proceedings arising as a result of or relating to or incidental to this agreement, the courts in Delhi/New Delhi alone shall have exclusive jurisdiction.

In witness whereof the party of the first part above named ____________________ and the Secretary on behalf of the "Commission" have executed this Agreement of the day, month and year mentioned herein above.

(Signature)	(Signature)
________________	________________
Staff Consultant.	Secretary on behalf of "Commission".
In the presence of witness--	In the presence of witness--
(Signature of witness) Name	(Signature of witness) Name
Address of the witness	Address of the witness
(Signature of witness) Name	(Signature of witness) Name
Address of the witness	Address of the witness

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.